| NAME | PLACE | DATE |
| --- | --- | --- |
| Dainik Navjoyti | Ajmer | 24.07.2018 |

# बीएसएल लिमिटेड

**कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर (सीआईएन) :** L24302RJ1970PLC002266

पंजीकृत कार्यालय : 26, इंडस्ट्रीयल एरिया, गाँधी नगर, भीलवाड़ा – 311 001 (राजस्थान)

फोन : (91–1482) 246801 (6 लेन्स) फैक्स : (91–1482) 246807 एवं 246157

**ई-मेलः** accounts@bslsuitings.com, **वेबसाइटः** www.bslltd.com

## सूचना

## (कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

## निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डीमैट खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 और संशोधित नियम निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) संशोधन नियम, 2017 (आईईपीएफ नियम) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है।

अन्य मामलों के बीच, आईईपीएफ नियम में, सभी शेयर जिनके सम्बन्ध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते (आईईपीएफ खाता) के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

कंपनी समय समय पर शेयर धारकों को अदावाकृत या असंदत्त लाभांश को दावा करने के लिए संवाद करती रही है। वित्त वर्ष 2010–11 के लाभांश को दावा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2018 है और कंपनी इसे आईईपीएफ कोष में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों (जिनके शेयरों को उचित कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ खाते में नियमों के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है) को व्यक्तिगत रूप से भी सूचना कर दी है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bslltd.com पर ऐसे शेयरधारकों और शेयरों का पूरा विवरण अपलोड कर दिया है और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबलिंक http://www.bslltd.com/dividend-report.html पर आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित होने वाले के शेयर की जानकारी सत्यापित कर लेवें।

आईईपीएफ कोष में हस्तांतरित अदावाकृत लाभांश के संबंध में और आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। शेयरधारक यह ध्यान रख सकते हैं कि अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित शेयर और ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, को आईपीएफ नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के अदावाकृत या असंदत्त लाभांश का दावा हस्ताक्षरित आवेदन करके 15 अक्टूबर, 2018 तक कंपनी के पते बीएसएल लिमिटेड, 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधी नगर, भीलवाड़ा – 311 001 (राजस्थान) में कर देवें, ताकि शेयरधारकों के शेयरों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ अकाउंट में स्थानांतरित करने की आवश्यकता न हो।

यदि कंपनी सम्बंधित शेयरधारकों से 15 अक्टूबर, 2018 या अन्य किसी विस्तारित तिथि तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं करती है तो कंपनी नियमों का पालन करते हुए इन शेयरों को आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित कर देगी।

यदि संबंधित शेयरधारकों को इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो वे कंपनी सचिव को accounts@bslsuitings.com पर या कंपनी के पते पर लिख सकते हैं।

**कृते बीएसएल लिमिटेड**

**दिनांक : 13 जुलाई, 2018** — **प्रवीण जैन**

**स्थान : भीलवाड़ा** — **सीएफओ एवं कम्पनी सचिव**